

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)
अधिसूचना

संख्या डी0 एल0 ए0 नालन्दा - 2309/र० पटना, दिनांक-17-09-13
चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गाँव-दुर्गापुर परगना-बिहार, थाना नं०-334
थाना-बिहार, जिला नालन्दा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् पावापुरी-घोसरावां पथ के कि०मी० 0 से 5.00
कि०मी० पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जा रही
आशंकित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव-दुर्गापुर, थाना
नं०-334 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमीवेश 2.52 एकड़ होता है, जिसका सार्व
खेसरा नम्बरा निम्नांकित है:- खेसरा सं०- 410, 411, 412, 414, 415, 421, 422, 423, 429, 430, 475, 477,
489, 490, 493, 494, 510, 515, 516, 517, 521, 522, 545, 546, 547, 548, 643, 644, 645, 646, 687, 688,
693, 694, 695, 696, 697, 703, 704, 705, 706, 707, 759, 761, 765, 767, 768, 813, 814, 818, 819 एवं
1141 सभी अंश।

जिसका चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

- उत्तर :- खेसरा सं०- 410, 411, 412, 414, 415, 421, 422, 423, 429, 430, 475, 477, 489, 490, 493, 494,
510, 515, 516, 517, 521, 522, 554, 546, 547, 548, 643, 644, 645, 646, 687, 688, 694, 695,
696, 704, 705, 707, 759, 761, 762, 763 एवं 758 सभी अंश।
पूर्व :- खेसरा सं०- 1754 अंश।
दक्षिण :- खेसरा सं०- 767, 768, 761, 759, 813, 814, 819, 706, 703, 697, 693, 688 एवं 1896 सभी अंश
तथा खेसरा सं०- 1007 पूर्ण।
पश्चिम :- सीवाना मौजा-पूरी थाना नं०-333

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन (यथा बिहार अधिनियम 1,
सं० 1981, संशोधित अधिनियम-1984) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध
है। भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय, नालन्दा, बिहारशरीफ में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ और उनके कर्मचारियों तथा इस
सूचना के सम्बन्ध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे..... के पदाधिकारियों और कर्मचारियों
को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उप धारा- (2) में यथा
उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत
किया है।

उक्त अधिनियम की धारा-17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय
दिया है कि परियोजना को शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 ए के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा
अपर समाहर्ता, नालन्दा
समाहर्ता, नालन्दा
सरकार के उप सचिव
31/12

संख्या 2309/र० डी0 एल0 ए0- नालन्दा, दिनांक-17-09-13

1. तैलिपे :- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के दो स्थानीय समाचार पत्रों में
प्रकाशन एवं प्रकाशित संस्करण का जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालन्दा, बिहारशरीफ एवं इस विभाग को प्रेषित
करा जावे।

2. तैलिपे :- उप समाहर्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, नालन्दा, बिहारशरीफ को जिला गजट के असाधारण
अंश में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालन्दा को दस प्रतियों में एवं इस
विभाग को दस अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने के लिये।

3. तैलिपे :- समाहर्ता, नालन्दा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव
31/12